कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45005/स्थानान्तरण–पदस्थापन/2022 दिनांक 07.08.2022 द्वारा श्रीमती सुमन पूनिया, प्रधानाचार्य, राउमावि निवाना जिला जयपुर का स्थानान्तरण राउमावि बगडी, निवाई जिला टोंक किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध श्रीमती सुमन पूनिया द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 171/2022 सुमन पूनिया बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.08.2022 द्वारा अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष समस्त तथ्यों एवं आधारों का उल्लेख करते हुए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विभागीय दिशा–निर्देशों के अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित किये जाने सम्बन्धी निर्देश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर/महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय माचड़ा अथवा राउमावि विशिष्ट एम.बी.डी. बाल मन्दिर, जयपुर में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी का स्थानान्तरण जयपुर जिले के समीपस्थ, टोंक जिले में ही किया गया है, किसी दूरस्थ स्थान पर नहीं। किसी भी लोकसेवक के स्थानान्तरण/पदस्थापन के सम्बन्ध में निर्णय का यह अधिकार नियोक्ता को है कि वह अपने अधीन लोकसेवक को कब, कहाँ और किस समय स्थानान्तरित करता है। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब राज्य बनाम जोगेन्द्र सिंह दत्त के प्रकरण में अपने निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 व 226 में लोकसेवक के स्थानान्तरण/पदस्थापन की शक्तियां पूर्णतया नियोजक के अधीन है। किसी भी लोकसेवक को एक ही स्थान पर बने रहने का कोई निहित अधिकार (VESTED RIGHT) नहीं है। उसे विभागाध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार राज्य में कहीं भी पदस्थापित किया जा सकता है। अपीलार्थी को योगकाल एवं यात्रा भत्ता अनुज्ञेय करते हुए स्थानान्तरित किया गया है। उक्त स्थानान्तरण निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को समंजित करने के उद्देश्य से नहीं बल्कि पूर्णतया प्रशासनिक आधार पर किया गया है। अपीलार्थी प्रधानाचार्य समकक्ष पद पर पदस्थापित है जो कि एक राज्य सेवा का पद है। राज्य सेवा के अधिकारी को सरकार अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा प्रशासनिक आवश्यकता/विभागीय प्राथमिकता/राज्य अथवा विद्यार्थी हित में राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता हैं। अन्यत्र पदस्थापित किए जाने से किसी भी लोकसेवक के विधिक अधिकारों एवं सेवा नियमों का किसी भी प्रकार से कोई उल्लंघन नहीं होता। उक्तानुसार अपीलार्थी श्रीमती सुमन पूनिया, प्रधानाचार्य का अभ्यावेदन एतद द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी पक्षकार सूचित हों।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/सुमन/171/2022/02 **दिनांकः** 02/11/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदया, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/अजमेर संभाग, जयपुर/अजमेर।
5. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर/टोंक।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक जयपुर/टोंक।
7. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
8. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
9. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
10. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
11. श्रीमती सुमन पूनिया, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य राउमावि बगडी, निवाई जिला टोंक।
12. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)